<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052025-263480 CG-DL-E-30052025-263480

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

No. 312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

सं. 31/2025-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 355(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा: -

3552 GI/2025 (1)

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून,	उक्त अधिसूचना में, सारणी में :
	2017, सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30	i. क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के
	जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र,	लिए, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
	असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में	ii. क्रम संख्या 61 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के
	प्रकाशित	लिए, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
		iii. क्रम संख्या 70 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के
		लिए, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
2.	64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने,
	दिसम्बर, 2023, सा.का.नि. 884(अ),	कॉलम (4) में, शब्द और अक्षर "31 मई, 2025" के
	दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत	स्थान पर, शब्द और अक्षर "31 मार्च, 2026" को
	के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3,	प्रतिस्थापित किया जाएगा।
	उप खंड (i) में प्रकाशित	

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/68/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:

- 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2025 जिसे सा.का.िन. 273 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को सा.का.िन. 884(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 7 मार्च, 2025 जिसे सा.का.िन. 165 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

No. 31/2025-Customs

G.S.R. 355(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No.	Amendments
	and Date	
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 785 (E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the TABLE, - i. against S. No. 57, in column (4), for the entry, the entry "10%" shall be substituted; ii. against S. No. 61, in column (4), for the entry, the entry "10%" shall be substituted; iii. against S. No. 70, in column (4), for the entry, the entry "10%" shall be substituted;
2.	64/2023-Customs, dated the 07 th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 884(E), dated the 07 th December, 2023	In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 1, in Column (4), for the words and figures "31st day of May, 2025", the words and figures "31st day of March, 2026" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/68/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 25/2025-Customs, dated the 30th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 273(E), dated the 30th April, 2025.
- 2. The principal notification No. 64/2023-Customs, dated the 07th December, 2023, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 884(E), dated the 07th December, 2023, and was last amended *vide* notification No. 17/2025-Customs, dated the 7th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 165 (E), dated the 7th March, 2025.